FIVE RUPEES
पाँच रुपये
COURT FEE
भारत INDIA

16

R-1941-I/2001

§मु§मुन्नी बाई पत्नी शालिक राम पटेल
§2§लल्लू पिता दसई जायवाल
§3§सुदामा पिता रामकरण जायसवाल
§4§रामपाल पिता घनश्याम सिंह
§5§प्रेमनारायण पिता तेजीलाल वर्मा
§6§प्रेमलाल पिता धौंकल सिंह गोण
§7§श्रीमती सरोज सिंह पत्नी कृपा शंकर
§8§सेमुअल सैमसन पिता युसुफ सैमसन
§9§ बिन्दा देवी पत्नी प्रहलाद सिंह
§10§ बिरजू सिंह पिता चोथी सिंह
§11§संदीप कुमार पिता ईश्वरी प्रसाद
सभी निवासी ग्राम सोहाग पुर , जिला-शहडोल म.प्र.

.... आवेदकगण

बनाम

शासन म.प्र. .... अनावेदक

निगरानी विरुद्ध निर्णय न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय सम्भाग रीवाप्रकरण क्रमांक 29/निगरानी/99-2000 आदेश दिनांक - 22-3-2001

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नहै:-

§1§ यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध है।

क्र. 2 पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1941–एक/2001 जिला–शहडोल

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-9-16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। अनावेदक की ओर से शासकीय पैनल अभिभाषक उपस्थित । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र0 29/निगरानी/1999–00 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2001 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959(आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर, शहडोल ने तहसीलदार नजूल कोयह आदेश दिया है कि पुरातत्व महत्व के संरक्षित स्मारक विराट मंदिर, सोहागपुर परिसर से कुल 300 मीटर की दूरी पर स्थित शाकसीय नजूल भूमि पर जितने भी निर्माण कार्य किये गये है उन्हें एक माह की समय सीमा में हटाया जाये, तथा भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि के बारे में यह निर्देश दिये है कि प्रश्नाधीन क्षेत्र मे किसी भी प्रकार के नवीन	

निर्माण की स्वीकृति महानिदेर्शक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जनपद नई दिल्ली की पूर्वानुमति के बिना नहीं दी जाये । इस आदेश का आधार यह था कि विराट मंदिर को भार सरकार ने दिनांक 04.11.52 की अधिसूचना क्रमांक 1999 द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया है जिसके 100 मी. चतुर्दिक क्षेत्र में निर्माण व खनन कार्य पूर्णतः वर्जित है तथा इससे परे 200 मी. के खेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण व खनन कार्य महानिर्देशक की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना नहीं किया जा सकता है ।

5/ प्रकरण में आवेकदगण की ओर से प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । कलेक्टर का प्रश्नाधीन आदेश विधिनुकूल है । अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा धारा 248 के प्रावधान के अनुसार की जावेगी '। भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप जो निर्माण कार्य नहीं है उन्हें हटाये जाने का आदेश देने में भी कलेक्टर ने कोई विधि विपरीत आदेश पारित नहीं किया है । अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.03.2001 में कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है । अतः अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश विधि के विपरीत न होने से स्थिर रखा जाता है। फलतः आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य